63 (10) सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की आयु

अधोहस्ताक्षरी को उपर्युक्त विषय पर इस विभाग के 9 मई, 2000 के समसंख्यक कार्यालय ज्ञापन का हवाला देने का निदेश हुआ है, जिसमें, उन रूग्ण/अव्यवहार्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, जिनके लिए पुनर्वास/पुनरूद्धार पैकेज विचाराधीन हैं, के कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की आयु के कम करने की प्रक्रिया निर्धारित की गई है। इस कार्यविधि में मंत्रिमंडले का अनुमोदन लेना शामिल है।

2. इस मुद्दे पर कि क्या ऐसे मामलों में मंत्रिमंडल का अनुमोदन आवश्यक है, पुनः विचार किया गया है और अब यह निर्णय लिया गया है कि लो.उ.वि. के दिनांक 9.5.2000 के का.ज्ञा. के अंतर्गत आने वाले सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में अधिवर्षिता की आयु 60 वर्ष से घटाकर 58 वर्ष करने का प्रस्ताव, जो उनके निदेशक मंडल और प्रशासनिक मंत्रालय के प्रभारी मंत्री द्वारा भी विधिवत् अनुमोदित किया गया है, को मंत्रिमंडल के समक्ष प्रस्तुत करना आवश्यक नहीं है।

3. सभी प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों से प्रक्रिया में किए गए उपर्युक्त परिवर्तन को नोट करने का अनुरोध किया जाता है।

(लो.उ.वि. का 1 जनवरी, 2001 का का.ज्ञा. सं. 18(10)/99– जी एम- जीएल –30)